संoसंo–7/प्राo–01–01/2018– 33 (709)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 01-10-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹3,39,68,45,728/– (तीन अरब उनचालीस करोड़ अड़सठ लाख पैतालीस हजार सात सौ अट्ठाईस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–20(7)ब दिनांक–14.06.18, 28(7)ब दिनांक–06.09.18 एवं 29(7)ब दिनांक–10.09.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹3,39,68,45,728/– (तीन अरब उनचालीस करोड़ अड़सठ लाख पैतालीस हजार सात सौ अट्ठाईस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संo 2561 विo (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326विo दिनांक–2.04.2014 तथा 295विo दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपाबंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्त्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9), दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

17. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

18. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

19. औरंगाबाद जिला को सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–12097/2017 एवं एम0जे0सी0 संख्या–1187/2018 के अनुपालन की राशि भी सम्मिलित है ।

20. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

21. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

पटना, दिनांक : 07-10-18

ज्ञापांक : 33(7)9

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/ आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20-2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रभार (13-04)	विधि प्रभार (13-05)	वर्दी/ पोषाक (13-06)	किराया महसूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	दवा भंडार (21-02)	आहार/ पथ्य (21-03)	संविदा सेवाएँ (28-02)	व्यावसायिक/ कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	पटना	150000000	22500000	24000000	800000	3900000	3000000	204200000	0	50000	50000	0	0	400000	70000	50000	250000	0	0	300000	8000000	5000000	0	218370000	6054/24.8.18
2	भोजपुर	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	426782	25000	50000	0	0	400000	0	50000	200000	800000	15000000	0	0	30000000	1000000	115751782	3552/11.9.18
3	बक्सर	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	54740000	1580/10.7.18
4	गोपालगंज	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	20000	20000	0	0	400000	0	25000	0	800000	2500000	0	10000000	5000000	1000000	74005000	1756/7.8.18
5	सुपौल	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	10000000	0	0	0	100000	50880000	1335/15.9.18
6	कटिहार	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	20000	20000	20000	100000	400000	58500	50000	0	100000	15000000	500000	10000000	20000000	100000	73488500	2176/19.9.18
7	पूर्णिया	15000000	2250000	2400000	0	390000	300000	20340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	15000000	0	0	0	100000	35540000	2482/13.9.18
8	मधुबनी	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	0	20000	20000	0	100000	400000	175000	50000	140000	300000	10000000	100000	20000000	10000000	500000	150285000	1903/30.7.18
9	दरभंगा	80000000	12000000	12800000	0	2080000	1600000	108480000	20605	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	10000000	8000000	0	126900605	1546/1554/ 25.8.18
10	सीतामढ़ी	60000000	9000000	9600000	0	1560000	1200000	81360000	159058	25000	25000	100000	0	400000	25000	25000	100000	100000	2000000	100000	6000000	10000000	50000	100469058	2401/28.8.18
11	सहरसा	15000000	2250000	2400000	0	390000	300000	20340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	22340000	1888/17.9.18
12	जमुई	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	50000	10000	20000	50000	0	300000	22500	25000	0	100000	500000	100000	2500000	3000000	0	47357500	1615/30.8.18
13	गया	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	236283	0	20000	0	0	400000	0	50000	356000	100000	2000000	100000	15000000	35000000	100000	188962283	2507/25.8.18, 1855/2.7.18, 1857/2.7.18
14	सिवान	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	10000	20000	0	0	0	0	50000	0	800000	2500000	50000	10000000	20000000	800000	102030000	17/4.9.18
15	बेगुसराय	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	0	10000	20000	50000	95000	400000	25000	50000	80000	50000	2500000	100000	10000000	7500000	50000	61610000	1823/1.9.18
16	शेखपुरा	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	50000	56290000	983/14.8.18
17	मुंगेर	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	0	5000	0	15000	400000	50000	20000	0	200000	1000000	200000	5000000	20000000	50000	94740000	1876/17.9.18
18	मधेपुरा	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	0	20000	20000	20000	0	400000	0	20000	50000		0	500000	10000000	0	0	51710000	833/17.9.18
19	मुजफ्फरपुर	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	20000	20000	0	0	400000	0	50000	200000	0	0	500000	10000000	10000000	0	156790000	2788/28.8.18
20	वैशाली	125000000	18750000	20000000	0	3250000	2500000	169500000	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	8000000	20000000	0	197900000	1313/21.7.18
21	लखीसराय	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	4000	20000	0	0	200000	20000	2000	0	0	0	0	2000000	5000000	0	61486000	1516/19.9.18
22	नवादा	70000000	10500000	11200000	0	1820000	1400000	94920000	0	30000	30000	200000	0	400000	0	0	1940000	800000	8000000	500000	5000000	10000000	800000	122620000	2412/30.8.18
23	नालन्दा	145000000	21750000	23200000	0	3770000	2900000	196620000	0	0	50000	0	500000	400000	25000	0	500000	200000	5000000	500000	10000000	35000000	0	248795000	2789/29.8.18
24	औरंगाबाद	71000000	10650000	12780000	0	2485000	1420000	98335000	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	2500000	3000000	0	104235000	1802/11.9.18, 1715/29.8.18, 1780/10.9.18
25	भागलपुर	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	0	20000	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136020000	3433/10.9.18
26	बाँका	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	25000	25000	0	0	100000	0	50000	0	800000	10000000	500000	10000000	0	1000000	76740000	622/4.8.18
27	अररिया	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	20000	20000	0	0	200000	0	50000	0	100000	2000000	200000	10000000	10000000	100000	76930000	2257/17.9.18
28	समस्तीपुर	100000000	15000000	16000000	0	2600000	2000000	135600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135600000	1995/26.9.18

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विद्युत प्रभार (13–04)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/पोषाक (13–06)	किराया महशूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
29	रोहतास	45000000	6750000	7200000	0	1170000	900000	61020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61020000	
30	कैमूर	30000000	4500000	4800000	0	780000	600000	40680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40680000	
31	जहानाबाद	40000000	6000000	6400000	0	1040000	800000	54240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54240000	
32	अरवल	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27120000	
33	खगड़िया	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27120000	
34	किशनगंज	20000000	3000000	3200000	0	520000	400000	27120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27120000	
35	मोतिहारी	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67800000	
36	बेतिया(प०चम्पारण)	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67800000	
37	शिवहर	10000000	1500000	1600000	0	260000	200000	13560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13560000	
38	सारण	50000000	7500000	8000000	0	1300000	1000000	67800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67800000	
	कुल	2076000000	311400000	333580000	800000	54615000	41520000	2817915000	892728	309000	475000	440000	810000	7600000	471000	617000	3816000	5450000	103000000	4250000	176500000	268500000	5800000	3396845728	

(तीन अरब उनचालीस करोड़ अड़सठ लाख पैंतालीस हजार सात सौ अट्ठाईस) रू0 मात्र

33 (बजट)
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001--01--01)	5999146000	2919120000	2076000000	4995120000	1004026000
2	जीवन यापन भत्ता (0001--01--03)	899872000	440802400	311400000	752202400	147669600
3	मकान किराया भत्ता (0001--01--04)	959863000	465436200	333580000	799016200	160846800
4	परिवहन भत्ता (0001--01--05)	1930000	950000	800000	1750000	180000
5	चिकित्सा भत्ता (0001--01--06)	152352000	75723200	54615000	130338200	22013800
6	अन्य भत्ता (0001--01--07)	119982000	58306800	41520000	99826800	20155200
7	त्यौहार अग्रिम (0001--01--08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**8138145000**	**3960338600**	**2817915000**	**6778253600**	**1359891400**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001--06--01)	5000000	1410746	892728	2303474	2696526
9	यात्रा व्यय (0001--11--01)	6400000	2851800	309000	3160800	3239200
10	कार्यालय व्यय (0001--13--01)	9200000	3505000	475000	3980000	5220000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001--13--02)	23000000	8580000	440000	9020000	13980000
12	दूरभाष (0001--13--03)	10000000	4360000	810000	5170000	4830000
13	विद्युत प्रभार (0001--13--04)	40000000	30020000	7600000	37620000	2380000
14	विधि प्रभार (0001--13--05)	2000000	950000	471000	1421000	579000
15	वर्दी / पोषाक (0001--13--06)	6390000	3018500	617000	3635500	2754500
16	किराया महसूल एवं कर (0001--14--01)	7500000	2810500	3816000	6626500	873500
17	प्रशिक्षण व्यय (0001--20--03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्तियॉ (0001--21--01)	66200000	26973000	5450000	32423000	33777000
19	दवा भंडार (0001--21--02)	660000000	293100000	103000000	396100000	263900000
20	आहार / पथ्य (0001--21--03)	100000000	49128000	4250000	53378000	46622000
21	लधु कार्य (0001--27--01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001--27--02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाएँ (0001--28--02)	1000000000	476170000	176500000	652670000	347330000
24	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाएँ (0001--28--04)	1500000000	718412000	268500000	986912000	513088000
25	मशीने एवं उपस्कर (0001--52--01)	30000000	11927000	5800000	17727000	12273000
	कुल योगः--	**11658836000**	**5593555146**	**3396845728**	**8990400874**	**2668435126**

33(7)9
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव